



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230119
CG-DL-E-01102021-230119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3727]
No. 3727]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4061(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2990(अ), दिनांक 18 जून, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii), दिनांकित 20 जून, 2018 में प्रकाशित की गयी थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संसोधन किया गया है।

पूर्वोक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में "लैंड एक्वीजिशन अफसर (NH) & कम्पीटेंट अथॉरिटी, खोर्धा एट भुवनेश्वर" के बदले "अतिरिक्त उप-कलेक्टर-सह-भूमि अधिग्रहण अधिकारी (सिविल), खोर्धा" शब्द अतः स्थापित किया जाता है।

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना संख्या का.आ 2990 (अ) दिनांक 18, जून 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड -(ii) में दिनांक 20, जून 2018 को प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4061(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number S.O.2990(E) dated 18th June, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, sub-section 3(ii), dated 20th June, 2018, namely:-

In the preamble of the aforesaid notification "Land Acquisition Officer (NH) & Competent Authority, Khordha at Bhubaneswar" the words "Additional Sub-collector -cum- LAO (Civil), Khordha" shall be substituted.

Foot Note: The principal Notification was published vide S.O. 2990(E) dated 18th June, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated 20th June, 2018.

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director